(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2588–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील गरोठ जिला मंदसौर म0प्र0 प्रकरण कमांक 10/अ–13/2014–15

1. माणकलाल पिता नन्दलालजी
   निवासी ग्राम खडावदा तहसील गरोठ
   जिला मंदसौर
2. कारूलाल पिता नन्दलालजी
   निवासी ग्राम खडावदा तहसील गरोठ
   जिला मंदसौर
3. दिनेश पिता नन्दलालजी
   निवासी–ग्राम खडावदा तहसील गरोठ
   जिला मंदसौर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. कारूलाल पिता लक्ष्मणजी भाट
   निवासी–सेमरोल, तहसील–गरोठ,
   जिला–मंदसौर (म0प्र0)
2. भेरूलाल पिता कारूलाल भाट
   निवासी–ग्राम बामनिया, तहसील–जीरन,
   जिला–नीमच (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

....

श्रीमती शिल्पा अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 अगस्त 2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील गरोठ

जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकों के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदकगण ने एक आवेदन तहसीलदार गरोठ के समक्ष संहिता की धारा 131 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके स्वामित्व की ग्राम सेमरोल स्थित भूमि सर्वे कमांक 390, 716 व 893 कुल किता 3 रकवा 3.30 हे0 है। उपरोक्त खाते में से 390 रकबा 1.910 हे0 सेमरोल से रामपुरा जाने वाले रास्ते से दक्षिण तरफ स्थित है जिसे सडक वाले खेत के नाम से पुकारा जाता है। इस खेत पर अनावेदक के आने जाने व बैलगाडी समान आदि ले जाने हेतु 15 फीट चोडा रास्ता है। उक्त रास्ते को आवेदकगण ने दिनांक 21–5–14 को पत्थर डालकर बंद करा दिया है उक्त रास्ते को खुलवाया जाये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20–7–15 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का संहिता की धारा 32 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रास्ता खुलवाने के आदेश दिये। तहसीलदार ने बिना मौके का अवलोकन किये मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आवेदगण की भूमि में से रास्ता देने के आदेश देने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 131 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। अतः आदेश निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20–7–15 की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक (याचिकाकर्ता) को सूचना पत्र जारी कर धारा 32 पर उसका जबाव प्राप्त कर एवं स्वयं स्थल निरीक्षण कर धारा 32 के अन्तर्गत बंद रास्ते को खुलवाने का अंतरिम आदेश दिया है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि

उभय पक्ष के विधिवत साक्ष्य लेकर अधिकतम तीन माह में प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर